संख्या: 41/2017/469/छप्पन-2017-10(3)/2004

प्रेषक,

मृत्युंजय कुमार नारायण,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 08 मई, 2017

विषय: जनपद लखनऊ स्थित हवाई अड्डे के रन-वे विस्तार एवं बंगला बाजार से बिजनौर मार्ग पथान्तर योजना हेतु अर्जित भूमि के सम्बन्ध में मा0 पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण/अपर जिला जज, लखनऊ द्वारा पारित निर्णयों के सम्बन्ध में धनराशि का स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-32/ना0उ0नि0/लेखा/2017-18, दिनांक 10.04.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके उक्त पत्र में अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश संख्या-34/2017/333/छप्पन-2017-10(3)/2004, दिनांक 31 मार्च, 2017 द्वारा जनपद लखनऊ स्थित हवाई अड्डे के रन-वे विस्तार एवं बंगला बाजार से बिजनौर मार्ग पथान्तर योजना हेतु अर्जित भूमि के सम्बन्ध में मा0 पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण/अपर जिला जज, लखनऊ द्वारा छः प्रकीर्ण वादों, (1) प्रकीर्ण वाद संख्या-19/2002, प्यारे लाल आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, (2) प्रकीर्ण वाद संख्या-24/2002, प्यारे लाल आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, (3) प्रकीर्ण वाद संख्या-49/2002, राजेश कुमार आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, (4) प्रकीर्ण वाद संख्या-20/2002, राम गुलाम आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, (5) प्रकीर्ण वाद संख्या-55/2003, लालता प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं (6) प्रकीर्ण वाद संख्या-56/2003, श्रीमती गुरदेई आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में पारित निर्णयों के अनुसार डिक्री की कुल धनराशि रूपये 3,49,43,236/- (रूपये तीन करोड. उनन्चास लाख तैतालिस हजार दो सौ छत्तीस मात्र) एवं शासनादेश संख्या-34/2017/163/छप्पन-2017-10(3)/2004, दिनांक 31 मार्च, 2017 द्वारा जनपद लखनऊ स्थित हवाई अड्डे के रन-वे विस्तार एवं बंगला बाजार से बिजनौर मार्ग पथान्तर योजना हेतु अर्जित भूमि के सम्बन्ध में मा0 पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण/अपर जिला जज, लखनऊ तीन प्रकीर्ण वादों, (1) प्रकीर्ण वाद संख्या-31/20024 अखिलेश आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, (2) प्रकीर्ण वाद संख्या-34/2004 चन्दन लाल आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं (3) प्रकीर्ण वाद संख्या-27/2004, श्रीमती प्रभुदेई आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में पारित निर्णयों के अनुसार डिक्री कुल धनराशि रू0 34,57,306/- (रूपये चौंतीस लाख सत्तावन हजार तीन सौ छः मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी परन्तु समयाभाव के कारण प्रश्नगत धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2016-17 में नहीं किया जा सका। अतः प्रश्नगत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि से करने का अनुरोध आपके द्वारा उक्त पत्र में किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल उक्त छः वादों में मा0 पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण/अपर जिला जज, लखनऊ द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पारित निर्णयों के अनुपालनार्थ डिक्री की कुल धनराशि रूपये 3,49,43,236/- (रूपये तीन करोड़ उनन्चास लाख तैंतालिस हजार दो सौ छत्तीस मात्र) एवं उक्त तीन वादों में मा0 पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण/अपर जिला जज, लखनऊ द्वारा पारित निर्णयों के अनुपालनार्थ डिक्री की कुल धनराशि रू0 34,57,306/- (रूपये चौंतीस लाख सत्तावन हजार तीन सौ छः मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रू0 3,84,00,542/- (रूपये तीन करोड़ चौरासी लाख पांच सौ बयालिस मात्र) की सहर्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा आहरित कर जिलाधिकारी, लखनऊ के निवर्तन पर रखी जायेगी तथा जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा मा0 पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण/अपर जिला जज, लखनऊ द्वारा उक्त वादों में पारित किये गये निर्णयों के अनुपालनार्थ कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5- जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को यथासमय सूचित किया जायेगा।

6- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखा-लेखाशीर्षक "5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत्त निर्माण कार्य" से वहन की जायेगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02.01.2017 में दिये गये प्राधिकार के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
सचिव।

संख्या: 41/2017/469(1)/छप्पन-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एक आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ।
3- अपर-जिलाधिकारी, (भूमि अध्याप्ति) सं0सं0, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
5- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6- मा0 पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण/अपर जिला जज, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- न्याय अनुभाग-6
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य पाल गंगवार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in